(4)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा

अधिग्रहण वाद संख्या–5/2017–18

राज्य

बनाम

शिवपूजन राम एवं अन्य

आदेश

यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा द्वारा ग्राम रंका रोड़ किनारे स्थित श्री संजय साव पिता–श्री सुखू साव के होटल पर 04 प्लास्टिक एवं 02 जूट के बोरा में प्रति बोरा 60.00 किलो ग्राम के हिसाब से कुल 360.00 किलो ग्राम जप्त गेहूँ अधिग्रहण करने हेतु पत्रांक 2046/आ0,दिनांक 14.9.2017 से दिया गया प्रतिवेदन पर प्रारंभ किया गया है। विपक्षीगण को सूचना निर्गत किया गया।

विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा द्वारा अधिग्रहण करने संबंधी दिया गया प्रतिवेदन का अवलोकन किया । उक्त सभी कागजातों के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि जप्त गेंहू का विपक्षीगण द्वारा कालाबजारी किया जा रहा था जिसके विरूद्ध गढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ है जिसका थाना काण्ड संख्या 285 दिनांक 3.9.2017 दर्ज है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 2046/आ0 दिनांक 14.9.2017 के साथ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा का संलग्न प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जप्त किया गया गेहूँ श्री शिवपूजन राम जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया गया कालाबाजारी प्रतीत होता है। फलस्वरूप विपक्षीगण का अपने जवाब में यह कहना कि साजिस के तहत यह मुकदमा किया गया है तथा कोई भी सरकारी अनाज की बिक्री नहीं हुई है, उपयुक्त प्रतीत नही होता है।

विपक्षीगण को लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में सरकारी अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। सरकारी अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों के सूचना के आधार पर पकड़ा गया गेहूँ जन वितरण प्रणाली दुकान का है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में जप्त गेहूँ को सरकारी खाद्यान्न बताते हुए अधिग्रहित करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस प्रकार सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त चावल जन वितरण प्रणाली का है जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट होता है । साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के प्रतिवेदनानुसार कालाबाजारी के क्रम में जप्त किया गया 360.00 किलोग्राम गेहूँ श्री प्रवीण कुमार तिवारी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम–रंका को जिम्मेनामा पर दिया गया है फलस्वरूप जप्त 04 प्लास्टिक एवं 02 जूट के बोरा में गेहूँ जिसका वजन 360.00 किलोग्राम है,को राजसात करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा को आदेश दिया जाता है कि जप्त गेहूँ जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अन्त्योदय उपभोगताओं के बीच वितरण कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करावें।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 13:18:45 +05:30
Location: 192.168.31.7

लेखापित एवं संशोधित

15/2/19 15/2/19

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी, गढवा

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी,गढवा